



४६७।।

दूरभाष 2286709
2286710
नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक गार्ड, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २५६७ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : ०९ सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचओडीएफओसी० बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	379.292
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्त्री/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नी० कानपुर	मिर्जापुर पार्ट-“एल” में विजय प्रताप सिंह के मकान से श्याम चरन के मकान तक, श्याम चरन के मकान से जगदम्बा तिवारी, जगजीत यादव के मकान तक, राम लखना कुशवाहा के मकान से विवेक सविता के मकान तक, अनिल तिवारी के मकान से वेद राम के मकान तक, नवीन कुमार के मकान रतन शुक्ला के मकान तक, लखन सिंह यादव के मकान से एल० के० वाजपेयी के मकान तक, कालिका प्रसाद के मकान से अरविन्द मिश्रा, ध्यान सिंह के मकान तक, जय प्रकाश यादव के मकान से ब्रिजेश यादव के मकान तक एवं सुरेश शुक्ला के मकान से जय प्रकाश यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.441
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नी० कानपुर	मिर्जापुर पार्ट-“एम” में शानू सिंह के मकान से विरेन्द्र कटियार, खुशी राम के मकान तक, अशोक तिवारी के मकान से राम बादल पाण्डेय के मकान तक, नंदलाल के मकान से बी०के० पाल, आर० के० कटियार के मकान तक, आर० एन० सिंह के मकान से आर० के० कटियार के मकान तक, मनोज श्रीवास्तव के मकान से श्री राम शेखर के मकान तक, सुरेश बन्द्र शुक्ला के मकान से राधेश्याम पाल, मनोज श्रीवास्तव के मकान तक, राधेश्याम यादव के मकान से राम कुमार राजपूत के मकान तक, विधार्थी तिवारी के मकान से सतीश अंगन्होत्री, राजेश मिश्रा के मकान तक, राजेश मिश्रा के मकान से बी० एल० आर० न्यू स्कूल तक, जीतेन्द्र अवश्यी के मकान से मुन्ना गुप्ता, मन्दिर तक एवं गुलझू यादव के मकान से पनकी रोड तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	71.198



४०१८

दूरभाष 2286709
2286710
नव चंताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वाड़ का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	मिर्जापुर पाट-‘एन’ में कटियार के मकान से एस०पी० शुक्ला, वंश बहादुर के मकान तक, राजेन्द्र कुमार शुक्ला के मकान से एस०पी० सिंह के मकान तक, महेन्द्र सिंह यादव के मकान से एस०पी० सिंह के मकान तक, दयाराम भारकर के मकान से राम चन्द्र रैनी के मकान तक, एस०पी० सिंह के मकान से रिंकू यादव के मकान तक, फौजी शॉप से पटलेश्वर गन्दिर (पीरज मिश्रा) तक, पटलेश्वर मन्दिर से राजेन्द्र राविता, भरत ठाकुर के मकान तक, आर० एन० दुधे के मकान से भरत ठाकुर के मकान तक, राम मनोहर दीक्षित के मकान से मनोज मिश्रा के मकान तक, अश्वनी ट्रेडर्स से वी०पी० सिंह गौड़, नई शिवली रोड तक, माँ विन्देश्वरी शिक्षा निकेतन से मिथलेश मिश्रा के मकान तक एवं वी०पी० सिंह गौड़ के मकान से जगलेश्वर मन्दिर, विजय अवश्थी के गकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	157.290
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	सनिगवाँ गाँव में लालजी कुशवाहा के मकान से मुन्ना पाँसट मार्स्टर के मकान तक, दिनेश कुशवाहा के मकान से विजय चन्द्र सक्सेना के मकान तक, श्रीमती चांदनी देवी स्मारक से मेन रोड तक, हसीन बानो के मकान से रघुवीर कुशवाहा के मकान तक, वरन्त तिवारी के मकान से मो० इस्लाम के मकान तक, सत्य नारायण कश्यप के मकान से इन्द्र भूषण शुक्ला के मकान तक, राम रिंह कुशवाहा के मकान से जगगोड़न चौरसिया के मकान तक, राम नारायण साहु के मकान से मुन्ना राजपूत के मकान तक, गुड़ड़न पाल के मकान से अनूप तिवारी के मकान तक, हरीश पाण्डेय के मकान से नारेन्द्र पाण्डेय के मकान, छुटई कहार के मकान तक, प्रेमु लोहार के मकान से शिव शंकर विश्वकर्मा के मकान तक, भरत पाण्डेय के मकान से अन्नपूर्णा स्वीट हाउस (मेन रोड) तक, रीताराम वंशी के मकान से वर्षावन नाथ बाबा मन्दिर तक, लक्ष्मीशंकर मन्दिर से राजेन्द्र कहार के मकान तक, महेश चौरसिया के मकान से धर्मेन्द्र कुशवाहा के मकान तक, पुष्पेन्द्र कुशवाहा के मकान से शौकत अली के मकान, राकेश राविता के मकान तक एवं नन्दा वाल्मीकि के मकान से राजू वाल्मीकि के मकान तक इण्टरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.866
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पाट-‘ए’ में कदीर के मकान से नसीरुद्दीन के मकान एवं संजय गुप्ता के मकान से रालीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.176
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पाट-‘बी’ में अतीक कूलर वाला के मकान से राज्य के मकान तक एवं अतीक परचून की दुकान से विनय निगम एडवोकेट के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.628



२०१३

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दूरभाष 2286709
2286710

नव घेतगा केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

क्र. सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पाट-'री' में प्रदीप चन्द्र अग्रवाल के मकान से कमल किशोर मिश्रा के मकान, सरला गुप्ता के मकान तक एवं राम गोपाल गौतम के मकान से वहींद के मकान तक इंटरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.381
8	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पाट-'डी' में मुख्तार के मकान से फहीम के मकान तक, रवी गुप्ता के मकान से पुरुषोत्तम तिवारी के मकान तक, आजाद के मकान से चुन्नु के मकान तक, मरिजद के साथ इंटरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.312
	योग				379.292

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वसितयों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वसितयों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रवीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरिस्तका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य आरम्भित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त रामय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधि प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



340/4

दूरभाष 2286/09
2286710
नव योतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के राम्बस्थित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टरेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित गिर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक